भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 153

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने के लिए फिटमेंट समिति की रिपोर्ट"

153. डॉ.सी.एम.रमेश:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहे मंत्रियों के समूह ने इस मामले पर और अधिक विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फिटमेंट समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो फिटमेंट समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के विचारार्थ विषयों के अनुसार, फिटमेंट समिति की भूमिका मंत्रियों के समूह की सहायता करना है। तदनुसार, ऐसा कोई संदर्भ नही दिया गया है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

*****